दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/अनापत्ति/2019/10324 दिनांक : 08.03. 2019

अनापत्ति पत्र

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012– 2(166)/2012 दिनांकः 09 अगस्त, 2012 एवं शासनादेश सं0 23/2016/ 772/सत्तर– 2–2016(116)/II दिनॉक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार स्वावित्तपोषित योजना अन्तर्गत पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/परास्नातक स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की अध्यक्षता में कार्यालय–ज्ञाप संख्याः लो0अ0वि0/सम्ब0/2012/5212 दिनांकः 02.09.2012 द्वारा गठित समिति की बैठक **दिनांक 20.02.2018** में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पूर्व संचालित महाविद्यालय **कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुलतानपुर** को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत **सत्र 2019–20 हेतु एम0एस–सी0 कृषि पाठ्यक्रम** के शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यो के संचालन हेतु अनापत्ति .प्रदान की जाती है। शर्ते एवं विवरण निम्नवत है –

1. अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतुः–परास्नातक।
2. **अ–अनापत्ति से सम्बन्धित संकायः–** कृषि संकाय।
   ब–अनापत्ति से सम्बन्धित विषयः–परास्नातक स्तर पर कृषि संकाय के अन्तर्गत एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री,, एग्रोनॉमी, एन्टीमोलॉजी, जैनिटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग एण्ड हार्टीकल्चर एण्ड एग्रीकल्चरल बॉटनी विषयों

3. इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि जिस भूमि पर महाविद्यालय संचालित है उसी भूमि के गाटों पर प्रस्तावित पाठ्यक्मों/विषयों का संचालन किया जायेगा, यदि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्मों/विषयों को उक्त भूमि के गाटों के अन्यत्र संचालित किया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। साथ ही सम्बद्धता हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित नहीं की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

4. महाविद्यालय द्वारा याचित विषयों/पूर्व संचालित पाठ्यक्मों में मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन होने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।

5. महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन दिनॉकः 10 मार्च, 2019 तक किया जायेगा, उक्त तिथि के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा यदि निरीक्षण मण्डल हेतु आवेदन उपरोक्त तिथि के अन्दर नहीं किया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की बचन बद्धता रू0 100/–(रू0 एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम संचालक सोसाइटी/महाविद्यालय को इस पत्र के निर्गमन की एक सप्ताह की समयावधि में विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी।

7. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नही की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।

8. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्याः–3075/सत्तर–2–2002–2(0166) /2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्टि मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।